


2019/00459

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक बनाम विनिता भगवानी

प्रकरण संख्या 296/2018 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा कायदाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
11.11.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी वित्तीय बैंक अधिवक्ता ने धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये प्रार्थना पत्र को विद्धो किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को विद्धो किये जाने से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	